तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /4028/ 2006/भीलवाड़ा** **राजस्थान सरकार बनाम शंकरलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04—06—2026	**एकलपीठ** **श्री टीकम चन्द बोहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्रीमती नीतू शेखावत, उप—राजकीय अभिभाषक। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं —— **आदेश** 1— राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स अपर जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 15—05—2006 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है। 2— रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार माण्डल ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र अपर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम भादू, तहसील माण्डल में स्थित साबिक बंदोबस्त आराजी नं. 438 रकबा 0.09 बीघा भूमि जो मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा स्थान गढ़बोर स्थान देह के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकॉर्ड थी। नवीन बंदोबस्त के दौरान उक्त आराजी भू—भाग के नवीन आराजी खसरा नं. 1269 रकबा 0.07 बीघा कायम करते हुए अप्रार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार बंदोबस्त विभाग ने शाश्वत मंदिर मूर्ति की भूमि से मन्दिर का नाम विलोपित करते हुए सीधे ही अप्रार्थी के नाम अंकित कर दी गई। मूर्ति मन्दिर की भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम खातेदारी में दर्ज किया जाना अवैध है। उक्त प्रविष्टियों को विलोपित कर वादग्रस्त भूमि को वापिस मूर्ति मंदिर के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार माण्डल द्वारा रेफेरेंस प्रकरण अपर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को प्रस्तुत किया। अपर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15—05—2006 द्वारा रेफेरेंस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि को मूर्ति मंदिर के नाम खातेदारी में दर्ज करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रेषित किया है। 3— विद्वान राजकीय अभिभाषक का अभिकथन है कि विवादित भूमि मूर्ति मंदिर के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। चूंकि मन्दिर शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति मन्दिर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /4028/ 2006/भीलवाड़ा** **राजस्थान सरकार बनाम शंकरलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विराजमान शाश्वत नाबालिग की खातेदारी भूमि होने के कारण उसका अन्तरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता और ना ही उक्त भूमि में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं। बिना किसी सक्षम आदेश के विवादित भूमि मूर्ति मंदिर के स्थान पर विधि विरूद्ध अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः जमाबन्दी में अप्रार्थीगण के नाम अंकित प्रविष्टियां निरस्त किए जाने योग्य है एवं विवादित आराजी की खातेदारी पुनः मूर्ति मन्दिर के नाम पर दर्ज किया जाना न्यायोचित है। 4— अभिभाषक अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। उप—राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। 5— राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस पर मनन किया गया और पत्रावली का आद्योपांत अध्ययन किया गया। 5— प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड अनुसार ग्राम भादू, तहसील माण्डल में स्थित साबिक बंदोबस्त आराजी नं. 438 रकबा 0.09 बीघा भूमि जो मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा स्थान गढ़बोर स्थान देह के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकॉर्ड थी। नवीन बंदोबस्त के दौरान उक्त आराजी भू—भाग के नवीन आराजी खसरा नं. 1269 रकबा 0.07 बीघा कायम करते हुए अप्रार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया गया। विवादित आराजी मूर्ति मंदिर के नाम दर्ज थी जो बाद में बिना किसी आधार के अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई। माफी मंदिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है। 6— राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं 46 के अन्तर्गत मन्दिर मूर्ति की भूमियां सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धारित की जाती है एवं मन्दिर मूर्ति विधिक व्यक्ति होता है जिसे सम्पत्ति धारण करने का अधिकार होता है एवं उसकी कृषि भूमि में कोई निजी व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। राजस्व विधि में मन्दिर मूर्ति को शाश्वत अव्यस्क माना जाकर उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकार की भूमि का किसी भी प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण वर्जित है। इस प्रकार मन्दिर मूर्ति की भूमि का अप्रार्थीगण के नाम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /4028/ 2006/भीलवाड़ा** **राजस्थान सरकार बनाम शंकरलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अन्तरण, नामांकन तथा राजस्व अभिलेख में अंकन पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। मन्दिर एक शाश्वत नाबालिग है और juristic person है। मन्दिर की भूमि चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त क्यों न की जा रही हो, चाहे सबायत, पुजारी, एजेंट या मजदूर को मजदूरी देकर काश्त करायी गयी हो, वह मन्दिर की खुदकाश्त मानी जावेगी व उसके खातेदारी अधिकार मन्दिर के अलावा किसी भी व्यक्ति में निहित नहीं होंगे। अतः विवादित आराजी वर्तमान अप्रार्थी के नाम विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। रेफेरेंस स्वीकार किए जाने योग्य है। 7— निष्कर्षतः हस्तगत् रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संबंधित नामान्तकरण निरस्त किया जाकर विवादित आराजी को पुनः ''मूर्ति मंदिर श्री चारभुजा स्थान गढ़बोर स्थान देह '' के नाम बतौर खातेदार दर्ज करने एवं सुसंगत समस्त राजस्व अभिलेखों से अप्रार्थीगण के नाम विलोपित करने के आदेश दिए जाते हैं। आदेश सुनाया गया। **(टीकम चन्द बोहरा)** **सदस्य**	